न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः—जीसीएमएस 2021/86

1. कुन्नीलाल ओला पुत्र गिरधारीराम ओला जाति जाट,
2. सत्यवीर पुत्र सुरजाराम,
3. राजेन्द्र पुत्र देवकरण,
4. मूलचन्द महरानिया पुत्र रामनारायण,
5. सन्तोष पुत्र द्वारकाप्रसाद समस्त निवासी कुलोठ खुर्द, तहसील सूरजगढ़, जिला झुंझुनू, राजस्थान।

———अपीलांट्स

बनाम

1. जिला कलक्टर झुंझुनू तहसील व जिला झुन्झुनू।
2. सरपंच ग्राम पंचायत कुलोठ खुर्द, तहसील सूरजगढ़, जिला झुंझुनू।
3. पदेन सचिव ग्राम पंचायत कुलोठ खुर्द, तहसील सूरजगढ़, जिला झुंझुनू।
4. ग्राम विकास अधिकारी सूरजगढ़, तहसील सूरजगढ़, जिला झुंझुनू।
5. तहसीलदार सूरजगढ़, तहसील सूरजगढ़, जिला झुंझुनू।

———रेस्पोडेंट्स

निर्णय

दिनांक 23.09.2021

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित आदेश क्रमांक प.12(3)(47)राज./20/3113 दिनाँक 04.09.2020/07.09.2020 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गंई है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थीगण ग्राम कुलोठ के रहने वाले व्यक्ति हैं तथा ग्राम कुलोठ के व्यक्तियों ने अपीलार्थीगण को अपील प्रस्तुत करने के लिये प्रतिनिधि नियुक्त किया है, इसलिए अपील बहैसियत ग्राम निवासीयान व बहैसियत स्वयं न्यायालय श्रीमान् में प्रस्तुत की हैं। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के अलॉटमेंट आदेश दिनाँक 04.09.2020, 07.09.2020 से अपीलार्थीगण व ग्राम निवासीयान गंभीर रुप से प्रभावित होते हैं, इसलिए प्रभावित पक्षकार की ओर से अपील न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की हैं, तथा अपील प्रस्तुत करने की इजाजत बाबत प्रार्थना पत्र धारा 96 का अलग से पेश किया गया है जो प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी का स्वीकार किया जाकर अपील दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि ग्राम पंचायत कुलोठ नवसर्जित की गई थी उससे पहले ग्राम पंचायत महपालवास का हिस्सा थी तथा ग्राम पंचायत नवसर्जित होने के बाद ग्राम पंचायत महपालवास ने दिनाँक 30.05.2020 को पूर्व ग्राम पंचायत महपालवास की ग्राम सभा का आयोजन किया गया था जिसमें यह प्रस्ताव पारित किया गया कि नवसर्जित ग्राम कुलोठ खुर्द के ख.नं. 414 में सिवायचक भूमि हिस्सा 1903/2429 रकबा 38.06 हैक्टेयर में से ग्राम पंचायत कुलोठ खुर्द में भूमि का रुपान्तरण किया जावे, उस ग्राम की सभी मिटिंग में ना तो कोरम था तथा नवसर्जित ग्राम पंचायत कुलोठ खुर्द, रुपपुरा, भूड़नपुरा, परसा का बास का कोई व्यक्ति उक्त ग्राम सभा में उपस्थित नहीं थे, उक्त प्रस्ताव दिनाँक 30.05.2020 नियम विरुद्ध लिया गया पटवारी

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

रिपोर्ट दिनाँक 20.07.2020 में भी दर्ज है कि भूमि में कीकर के पेड़ लगे हुये है, सामने से कच्चा रास्ता गुजरता है, उक्त प्रस्तावित भूमि के पास बाबा मदननाथ का काफी पुराना मन्दिर बना हुआ है, जो ग्रामवासियों कुलोठ खुर्द की आस्था का केन्द्र है, प्रस्तावित भूमि ग्राम कुलोठ खुर्द के पंचायत कार्यालय के लिये उपयुक्त भूमि नहीं है तथा ग्राम कुलोठ खुर्द के पास ना तो गौशाला की भूमि है, ना ही गायों को चराने के लिये अन्य कोई भूमि है, गायों की गौशाला के रुप में गाँव की राजकीय प्राथमिक विद्यालय भवन को काम में लिया जा रहा है तथा खसरा नम्बर 414 में गायों को चराने के लिये काम में लिया जाता है, उक्त भूमि को ग्राम कुलोठ खुर्द के व्यक्ति गायों के लिये उपयोग–उपभोग के लिये वर्षों से लेते आये हैं तथा भविष्य में गौशाला बनाकर शेष भूमि को गायों को चराने में लेना चाहते है। उन्होने आगे कथन किया है कि अलॉटमेंट ऑर्डर दिनाँक 04.09.2020, 07.09.2020 में भूमि खसरा नम्बर 414 रकबा 48.58 हैक्टेयर किस्म बरानी सिवायचक हिस्सा 1903/2429 रकबा 38.06 हैक्टेयर में से एक हैक्टेयर भूमि ग्राम पंचायत कुलोठ खुर्द के लिये आवंटित की है जो गाँव से 2 किलामीटर दूरी पर स्थित है तथा उक्त भूमि के कोई समुचित रास्ता नहीं लगता है, ना कोई बिजली–पानी की सुविधा है तथा अलॉटेड भूमि व गाँव के बीच में काफी ऊंचा टिला है, उक्त टिले के दूसरी तरफ उक्त अलॉटशुदा भूमि स्थित है जो गाँव से दिखाई भी नहीं देती है तथा काफी ऊंचा टिला होने के कारण असुविधाजनक है उक्त अलॉटशुदा भूमि ग्राम पंचायत कुलोठ खुर्द के लिये पंचायत कार्यालय बनाने के लिये उपयुक्त नहीं है किन्तु अधीनस्थ जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.09.2020, 07.09.2020 पारित किया गया है जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि ग्रामवासीयों ने विपक्षीगण के समक्ष तीन प्रस्ताव रखे हैं, जिसमें मोहरसिंह पुत्र गिरधारीराम ओला दत्तक पुत्र भूराराम पुराना खाता नं. 32 व नया खाता नं. 289 में से 2 बीघा भूमि दान देने के लिये तैयार है, उक्त भूमि पिलोद से सतनाली मुख्य सड़क पर स्थित है तथा आबादी भूमि के समीप स्थित है तथा हुक्मीचन्द पुत्र ठनु की भूमि गाँधी पुस्तकालय की पास सड़क पर स्थित है जो निःशुल्क 2 बीघा भूमि ग्राम पंचायत कार्यालय के लिये देने को तैयार है, उक्त भूमि सड़क पर है तथा गाँव के समीप है, घनश्याम पुत्र रामुराम जाति ब्राह्मण खसरा नम्बर 165 में से निःशुल्क ग्राम पंचायत के लिये भूमि देने के लिये तैयार है जो भूमि महपालवास के रास्ते पर स्थित है तथा गाँव के समीप स्थित है। उक्त तीनों दानदाताओं द्वारा दान देने के लिये प्रस्तावित भूमि गाँव के समीप है बिजली पानी की सुविधा है, सड़क की सुविधा है, जहाँ ग्राम पंचायत भवन बनना ग्राम पंचायत कुलोठ खुर्द के लिये सुविधाजनक है, समस्त ग्रामवासीयान उक्त भूमि में ग्राम पंचायत कार्यालय बनवाने के लिये सहमत है, परन्तु विपक्षीगण जानबूझकर गाँव से काफी दूरी व असुविधाजनक जगह ग्राम पंचायत कार्यालय बनवाना चाहते है, इसलिये अलॉटमेंट ऑर्डर दिनाँक 04.09.2020, 07.09.2020 काबिले निरस्त है। उन्होने आगे कथन किया है कि जो प्रस्ताव दिनाँक 30.05.2020 ग्राम पंचायत महपालवास द्वारा लिया गया उसमें कोरमपुरा नहीं था, नवसर्जित ग्राम पंचायत के लोगों की उपस्थिति नहीं थी तथा नवसर्जित ग्राम पंचायत के लोगों की सुविधा का ध्यान नहीं रखा गया इसलिये उक्त प्रस्ताव के आधार पर गलत रुप से भूमि अलॉट हो गई उक्त गलत अलॉटमेंट से नवसर्जित ग्राम पंचायत के लोग गम्भीर रुप से प्रभावित होते है, इसलिये उक्त अलॉटमेंट काबिले निरस्त है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अप्रार्थीगण उक्त अलॉटमेंट की जगह भवन बनाने के लिये आमादा है, अपील मान्य. न्यायालय के विचारण में रहे हुये उपर्युक्त तथ्यों की जाँच आवश्यक है तथा सुविधाजन भूमि देने के लिये दानदाता तैयार है फिर

P.T.O.

भी अप्रार्थीगण उक्त भूमि पर पंचायत भवन बनाने पर आमादा है। उन्होने आगे कथन किया है कि ग्राम कुलोठ खुर्द के व्यक्तियों को उक्त गलत अलॉटमेंट की पूर्व में जानकारी नहीं थी, रेस्पोडेंट नं. 02 ने जब ग्राम पंचायत कार्यालय खसरा नम्बर 414 में बनाने की बात लोगों के समक्ष जाहिर की तब ग्रामवासीयों को दिनाँक 01.03.2021 को उक्त गलत अलॉटमेंट की जानकारी हुई, तब दिनाँक 04.03.2021 को उक्त अलॉटमेंट की नकल ली, जानकारी से अन्दर मियाद अपील न्यायालय श्रीमान् के पेश की गई हैं, दिनाँक 04.09.2020, 07.09.2020 के आदेश की पूर्व में जानकारी नहीं थी, यदि अपील मियाद बाहर मानी जावे तो दफा 5 मियाद अधिनियम का लाभ दिया जाकर अपील अन्दर मियाद दर्ज की जावें तथा अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.09.2020, 07.09.2020 को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 अपील एवं प्रार्थना पत्रादि के तथ्यों को अस्वीकार करते हुऐ कथन किया है कि अपीलार्थीगण को उपरोक्त अपील पेश करने का कोई अधिकारी/लोकस स्टेण्डाई नही है क्योंकि ग्राम पंचायत कुलोठ खुर्द के ग्रामवासियों ने किसी प्रकार का अधिकार अपील पेश करने के लिए अपीलार्थीगण नही दिया है और इस सम्बन्ध में उनके द्वारा किसी प्रकार का दस्तावेज अपनी अपील के साथ संलग्न भी नही किया और इसी आधार पर उनके द्वारा प्रस्तुत अपील सरसरी तौर ही निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलार्थीगण ने उपरोक्त अपील दुर्भावनावश प्रस्तुत की है क्योंकि अपीलार्थी संख्या 4 श्री मूलचन्द महरानिया की पुत्रवधु श्रीमती धर्मा पत्नी श्री लक्ष्मीनारायण ग्राम पंचायत कुलोठ खुर्द के वर्ष 2020 के चुनाव में प्रत्यर्थी संख्या 2 के विरूद्ध सरपंच पद की प्रत्याशी व मुख्य प्रतिद्वंद्वी थी और उक्त चुनाम में हारने के कारण श्री मूलचन्द महरारिया व उसका परिवार प्रत्यथी संख्या 2 से दुर्भावना व रंजिश रखता है तथा अपीलार्थीगण संख्या 1 से 3 व 5 उक्त पंचायत चुनाव में श्रीमती धर्मा के कट्टर समर्थक थे और उनकी उससे मिलीभगत है, चुनाव में पराजित होने के उपरान्त श्री मूलचन्द महरानिया के परिवार व उनके समर्थकों ने प्रत्यर्थी संख्या 2 व उनके परिवार को यह धमकी दी थी कि वो उसे ग्राम पंचायत कुलाठ खुर्द में किसी प्रकार का विकास कार्य व निमार्ण शान्तिपूर्वक तरीके से नही करने देंगे और हर कार्य में अड़चन व अडंगा लगायेंगे इसी कारण अपीलार्थीगण ने यह अपील दुर्भावनावश व रंजिश रखने के कारण प्रस्तुत की है इसलिये इसी आधार पर अपील बिना गुण–अवगुण पर जाये निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है आक्षेपित आवंटन आदेश दिनांक 07.09.2020 जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अपना कर जारी किया गया है और इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा पत्र दिनांक 13.03.2020, 20.05.2020 व 27.09.2020 समस्त जिला कलक्टरों को वर्ष 2019 में नवसृजित ग्राम पचांयत के कार्यालयों, भवनों की व्यवस्था बाबत जारी किये और उसमें यह स्पष्ट रूप से वर्णित किया है कि कार्यालय निमार्ण हेतु ग्राम पंचायत मुख्यालय पर लगभग 3 एकड़ भूमि आवंटित करवाने की कार्यवाही करवावें, राज्य सरकार के उक्त दिशा–निर्देशें के अनुसार ही कार्यवाही करते हुए ग्राम पंचायत महपालवास ने अपनी ग्रामसभा की बैठक दिनांक 30.05.2020 में उक्त 5 हैटक्यर रिक्त सिवायचक भूमि के आवंटन का प्रस्ताव पारित किया और उस पर कार्यवाही करते हुए जिला कलक्टर झुन्झुनू ने खसरा नम्बर 414 में 1.00 हैक्टयर रिक्त सिवायचक भूमि का आवंटन नवसृजित ग्राम पंचायत के कार्यालय भवन व अन्य राजकीय कार्यालयों के निमार्ण हेतु किया गया है तथा वर्तमान में 1.00 हैक्टयर भूमि किसी भी अन्य स्थान पर ग्राम कुलाठ

P.T.O.

खुद में उपलब्ध नही है तथा इस प्रकार उपरोक्त आक्षेपित आवंटन आदेश एक नीतिगत निर्णय है और सभी तथ्यों व परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए जारी किया गया है जिसमें किसी प्रकार हस्तक्षेप करना उचित नही है। अतः अपीलार्थीगण की अपील सारहीन व बलहीन होने से हर्जे–खर्चे सहित निरस्त करने के आदेश फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपीलार्थीगण ग्राम पंचायत कुलोठ खुर्द के निवासी है तथा प्रकरण ग्राम पंचायत कुलोठ खुर्द के पंचायत कार्यालय व अन्य राजकीय कार्यालय हेतु भूमि आवंटन सम्बन्धी है ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलार्थीगण का मूल रूप से कथन रहा है कि अपीलाधीन आदेश द्वारा आवंटित भूमि ग्राम से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तथा उक्त भूमि पर जाने का कोई समुचित रास्ता व बिजली–पानी की सुविधा इत्यादि नही है तथा गांव के अन्य लोगो पंचायत कार्यालय हेतु गांव में ही भूमि को दान करने के इच्छुक है। ऐसी स्थिति में प्रकरण जिला कलक्टर झुन्झुनू को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश क्रमांक प.12(3)(47)राज/20/3113 दिनांक 07.09.2020 को निरस्त किया जाता है तथा अपीलार्थीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे अपना अभ्यावेदन जिला कलक्टर झुन्झुनू के समक्ष अविलम्ब पेश करे एवं जिला कलक्टर झुन्झुनू अपीलार्थीगण एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा समर्पित की जाने वाली भूमि की उचित मात्रा एवं भूमि के उपयोग की आमजन की सुविधा इत्यादि को ध्यान में रखते हुए प्रकरण में 3 माह में पुनः निर्णय पारित करें।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 23.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।